HRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) ·PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 23, 2012/भाद्र 1, 1934

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 2012/BHADRA 1, 1934

ंपैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 647(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पैट्रालियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

- ा. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) संशोधन आदेश, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 की अनुसूची । में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 655(अ) द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) संशोधन आदेश, 2009 में यथा अंत:स्थापित क्र.सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—
- "13. ऐसे उपभोक्ता को, जिसके पास पहले ही पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस संयोजन है, घरेलू द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस संयोजन प्रदान करना ।

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप

(पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए)

- 1. किसी सरकारी तेल कंपनी के घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के किसी विद्यमान उपभोक्ता को, पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन अभिप्राप्त करने की तारीख से साठ दिन के भीतर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस कनेक्शन अभ्यर्पित करने या सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का परिवचन अभिरक्षा किए बिना पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्रदान करना ।
- 2. किसी सरकारी तेल कंपनी के घरेलू द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के किसी ऐसे विद्यमान उपभोक्ता को, जिसने पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन अभ्यर्पित नहीं किया है या सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं रखा है, पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का प्रदाय जारी रखना ।"।

[सं. पी-17011/4/2007-विप.]

डा. नीरज मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 487(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सा.का.नि. सं. 177(अ), तारीख 6 मार्च, 2002, सा.का.नि. सं. 730(अ), तारीख 22 नवंबर, 2007, सं. सा.का.नि. 655(अ), तारीख 10 सितंबर, 2009, सं. सा.का.नि. 452(अ), तारीख 26 मई, 2010 और सं. सा.का.नि. 718(अ), तारीख 26 सितंबर, 2011 द्वारा पश्चात्वर्ती रूप से संशोधित किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

- G.S.R. 647(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely:—
- 1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2012.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, in Schedule-I, for serial number 13 and the entries as inserted by the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2009 vide notification number GS.R. 655(E), dated 10th September, 2009, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—
- "13. Providing domestic Liquefied Petroleum Gas connection to a consumer who is already owning a Piped Natural Gas connection.

Prohibited Activities

(for Piped Natural Gas providing companies)

- 1. Providing Piped Natural Gas connection to an existing consumer of domestic Liquefied Petroleum Gas of a Government Oil Company, without obtaining an undertaking to surrender or to keep in safe custody the Liquefied Petroleum Gas connection within sixty days from the date of obtaining Piped Natural Gas connection.
- 2. Continue to supply piped natural gas to an existing consumer of domestic Liquefied Petroleum Gas of a Government Oil Company who has not surrendered or kept in safe custody the domestic Liquefied Petroleum Gas connection after sixty days from the date of obtaining Piped Natural Gas connection.".

[No. P-17011/4/2007-Mkt.]

Dr. NEERAJ MITTAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 487(E), dated the 26th April, 2000 and was subsequently amended vide number G.S.R. 177(E), dated 6th March, 2002, number G.S.R. 730(E), dated 22nd November, 2007, number G.S.R. 655(E), dated 10th September, 2009, number G.S.R. 452(E), dated 26th May, 2010 and number G.S.R. 718(E), dated 26th September, 2011.